

  
भारत का राजपत्र  
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1629]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 4, 2015/श्रावण 13, 1937

No. 1629]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 4, 2015/SHRAVANA 13, 1937

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अगस्त, 2015

का.आ. 2117(अ).—निम्नलिखित प्रारूप अधिसूचना, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है; जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है; और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आक्षेप या सुझाव देने में हितबद्ध है, इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए, आक्षेप या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंद्रा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 या ई-मेल पते: esz-mef@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकेगा।

### प्रारूप अधिसूचना

मृगवाणी राष्ट्रीय उद्यान, चिल्कूर (जिसे इसके बाद अभयारण्य कहा गया है) हैदराबाद शहर से लगभग 17 किलोमीटर पर हैदराबाद-शवेल्ला-विकाराबाद-तंदूर राज्य राजमार्ग पर स्थित है और लगभग 900 एकड़ में फैला हुआ है और उद्यान को अब शहर का हिस्सा माना जाता है;

और, राष्ट्रीय उद्यान में चट्टानें, पहाड़ियां, घाटियां और लहरदार मैदान जैसे भौतिक परिलक्षण हैं और इसमें हैदराबाद शहर के करीब तेजी से विकास कर रहे दखन के पठार में पाये जाने वाले अनेक प्रकार के प्राणी और वनस्पतियों के अवशेष पाये जाते हैं ;

और, यह क्षेत्र जैव-विविधता का धनी है, जिसमें 600 से ज्यादा पेड़ों की प्रजातियाँ मुख्यतः एनोजिसिस लेटोफोलिया, लगरस्ट्रोनया परवोपलोरा, अलबिजिया अमारा, काससिया फिजटूला, स्पैडर्स इमनगिनाईट्स, बूटिया मोनोस्प्रेमा, फिक्स स्पप, डलबेरिजिया पेनीकोलेटा, अकाकिया सून्दरा, क्लोरोजिलोन सूटिनीया, गेरुई टेलीफोलिया, नीम, टीक, रोज वुड, सैदल वुड आदि पायी जाती हैं ;

और, जहाँ राष्ट्रीय उद्यान विविध जन्तुवर्गों का आश्रय स्थल है जिसमें 120 प्रजातियों की पक्षियाँ, जैसे कामन पीफाइल, ग्रास आउल इत्यादि, 20 प्रजातियों के स्तनधारी जैसे स्पाट्स डियर, सांभर, पोरकूपाइन, वाइल्ड बोर इत्यादि, 20 प्रकार के सरीसृप प्रजातियाँ जैसे भारतीय कोबरा, भारतीय पाइथन, मोनाइटर लीजार्ड्स इत्यादि ;

और, राज्य सरकार के नागरिक प्रशासन और शहरी विकास विभाग (11) द्वारा जारी जी ओ सं. 111, तारीख 08.03.1996 के अनुसार हिमायत सागर और ओस्मान सागर झीलों जो हैदराबाद और सिकंदराबाद नगर के लिए पेयजल की आपूर्ति का मुख्य स्रोत हैं के 10 कि.मी. के भीतर विभिन्न कार्यकलापों को प्रतिषिद्ध करने के लिए आदेश जारी किए गए थे ;

और, अब इस क्षेत्र का परिरक्षण और संरक्षण करना आवश्यक है तथा जिसकी सीमाओं को इस अधिसूचना के पैरा 1 में मृगवाणी राष्ट्रीय उद्यान के चारों ओर पारिस्थितिकीय संवेदी जोन के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है और पर्यावरण की दृष्टि से उद्योगों या उद्योगों के वर्ग को तथा उनकी संक्रियाओं और प्रक्रियाओं को उक्त पारिस्थितिकीय संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) और उपधारा (3) के खंड (v) और खंड (xiv) के साथ पठित और उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मृगवाणी राष्ट्रीय उद्यान, चिल्कूर की सीमा से 5 किलोमीटर तक के विस्तारित क्षेत्र जो कि कथित जी ओ. न. 111 के तहत आने वाले क्षेत्र में है और तेलंगाना राज्य के रंगारेड्डी जिले के मंचिरावुला ग्राम की ओर 3 कि. मी. के क्षेत्र को मृगवाणी राष्ट्रीय उद्यान पारिस्थितिकीय संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकीय संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :-

1. पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं.—(1) पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार, मृगवाणी राष्ट्रीय उद्यान चिल्कूर की सीमा से 5 किलोमीटर तक, राज्य सरकार के उल्लेखित जी. ओ. नं. 111 के तहत आने वाले

क्षेत्र में है और तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले के मंचिरावुला ग्राम की ओर 3 कि. मी. के क्षेत्र में है जो कि  $17.21.132^\circ$  से  $17.21.893^\circ$  उ. अक्षांश और  $78.21.035^\circ$  से  $78.21.301^\circ$  पू. देशांतर के बीच है ।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा का वर्णन उपाबंध I में उपाबद्ध है और ग्रामों की सूची उपाबंध II में दी गई है ।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा का मानचित्र अक्षांश और देशान्तर के साथ उपाबंध III के रूप में उपाबद्ध है ।

**2. पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना.**—(1) राज्य सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रयोजनों के प्रभावी प्रबंधन के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से, आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रूप में ऐसी रीति में राज्य सरकार तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के सामंजस्य में, भी तथा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देश, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी ।

(2) आंचलिक महायोजना संबंधित राज्य विभागों के साथ परामर्श से पर्यावरणीय और पारिस्थितिकीय विचारणों को उसमें एकीकृत करने के लिए तैयार की जाएगी, अर्थात्:—

- (i) पर्यावरण ;
- (ii) वन ;
- (iii) नगर विकास ;
- (iv) पर्यटन ;
- (v) नगरपालिका ;
- (vi) राजस्व ;
- (vii) कृषि ;
- (viii) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
- (ix) सिंचाई; और
- (x) लोक निर्माण विभाग

(3) उक्त योजना को राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाएगा ।

(4) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों, नहरों और निकासी संकर्मों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि भू-उपयोग, अवसंरचनात्मक और क्रियाकलापों या संकर्मों का ऐसा उपयोग तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन या इस अधिसूचना के अधीन प्रतिषिद्ध न हो ; तथा आंचलिक महायोजना सभी अवसंरचना और क्रियाकलाप के अधिक दक्ष और पारिस्थितिकीय अनुकूल होने में संवर्धनकारी होगा ।

(5) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे ।

(6) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, आर्किडों, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यंकन करेगी ।

(7) आंचलिक महायोजना स्थानीय समुदायों की आजीविका को सुरक्षित तथा पारिस्थितिक अनुकूल विकास को सुनिश्चित करेगी ।

**3. राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय.**—राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:—

(1) **भू-उपयोगण**—पारिस्थितिक संवेदी जोन में वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए हैं पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक और औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा :

परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कृषि भूमि का संपरिवर्तन, पैरा 5 के अधीन मानीटरी समिति की सिफारिश पर और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए और पैरा 4 की सारणी के स्तंभ (2) के अधीन मद सं. 10, सं. 16, सं. 22, सं. 28 और सं. 31 के सामने सूचीबद्ध क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात होंगे, अर्थात् :—

- (i) पारिस्थितिकीय अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों के लिए पर्यटकों के अस्थायी आवासन के लिए पारिस्थितिकीय अनुकूल आरामगाह जैसे टेंट, लकड़ी के मकान आदि ;
- (ii) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और सुदृढ़ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण;
- (iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;
- (iv) वर्षा जल संचयन; और
- (v) कुटीर उद्योग, जिसके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग, सुविधाजनक स्टोर और स्थानीय सुविधाएं भी हैं :

परंतु यह और कि राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन और भारत के संविधान के अनुच्छेद 244 तथा तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा :

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई त्रुटि मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की सूचना भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को देनी होगी :

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि का संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा :

परंतु यह और भी कि जिससे हरित क्षेत्र में जैसे वन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र आदि में कोई पारिणामिक कटौती नहीं होगी और अप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुनः वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे ।

(2) **प्राकृतिक जल-स्रोत**.—आंचलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक स्रोतों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनरुद्भूतकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध करने के लिए ऐसी रीति से मार्गनिर्देश तैयार किए जाएंगे ।

(3) **पर्यटन**.—(क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप, पर्यटन महायोजना के अनुसार जो आंचलिक महायोजना का भाग रूप में होंगे ।

(ख) पर्यटन महायोजना तेलंगाना सरकार के पर्यटन विभाग, द्वारा राज्य सरकार के पर्यावरण और वन विभाग, के परामर्श से तैयार होगी ।

(ग) पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात् :—

- (i) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी मार्गनिर्देशों के अनुसार होगा जिसमें पारिस्थितिक पर्यटन, पारिस्थितिक शिक्षा और पारिस्थितिक विकास को महत्व दिया जाएगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन की वहन क्षमता के अध्ययन पर आधारित होगा ;

(ii) पारिस्थितिकीय अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों से संबंधित पर्यटकों के अस्थायी निवास के लिए आवासन के सिवाय पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर होटल और रिसार्ट के नए संनिर्माण राष्ट्रीय उद्यान की सीमा के 1 किलोमीटर के भीतर अनुज्ञात नहीं होंगे :

परन्तु राष्ट्रीय उद्यान की सीमा के 1 किलोमीटर के परे पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक नए होटलों और रिसार्टों की स्थापना को पारिस्थितिकीय अनुकूल पर्यटन सुविधाओं के लिए पूर्व निश्चित और नामनिर्दिष्ट क्षेत्रों में और पर्यटन महायोजना के अनुसार अनुज्ञात किया जाएगा ।

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकारियों द्वारा अनुज्ञात किया होगा ।

(4) **नैसर्गिक विरासत.**—पारिस्थितिक संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातों आदि की पहचान की जाएगी और उन्हें संरक्षित किया जाएगा तथा उनकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर, उपयुक्त योजना बनाई जाएगी और ऐसी योजना आंचलिक महायोजना का भाग होगी ।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल.**—पारिस्थितिक संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान करनी होगी और इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर उनके संरक्षण की योजनाएं तैयार करनी होंगी तथा आंचलिक महायोजना में सम्मिलित की जाएंगी ।

(6) **ध्वनि प्रदूषण.**—पारिस्थितिक संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा ।

(7) **वायु प्रदूषण.**—पारिस्थितिक संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा ।

(8) **बहिष्काव का निस्सारण.**—पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिष्काव का निस्सारण जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार होगा ।

(9) **ठोस अपशिष्ट.**—ठोस अपशिष्टों का निपटान निम्नलिखित रूप में होगा—

- (i) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 908(अ), तारीख 25 सितंबर, 2000 नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 2000 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ;
- (ii) स्थानीय प्राधिकरण जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय संघटकों में ठोस अपशिष्टों के संपृथक्करण के लिए योजनाएं तैयार करेंगे ;
- (iii) जैव निम्नीकरणीय सामग्री को अधिमानतः खाद बनाकर या कृमि खेती के माध्यम से पुनःचक्रित किया जाएगा ;

3341 527/15-2

- (iv) अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिक संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में होगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों को जलाना या भस्मीकरण अनुज्ञात नहीं होगा।

(10) जैव चिकित्सीय अपशिष्ट.—पारिस्थितिक संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.का.आ. 630(अ), तारीख 20 जुलाई, 1998 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 1998 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(11) यानीय परिवहन.—परिवहन की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध अधिकथित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के द्वारा अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति प्रवृत्त नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय गतिविधियों के अनुपालन को मानीटर करेगी।

#### (12) औद्योगिक इकाइयां-

(क) प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन में नए काष्ठ आधारित उद्योगों की स्थापना को सिवाए विधि के अनुसार स्थापित विद्यमान काष्ठ आधारित उद्योगों के अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(ख) जल, वायु, मृदा, ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले किसी नए उद्योग की प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन में स्थापना को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

4. पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों की सूची—पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के उपबंधों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :—

#### सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टीका-टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
अ. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप :		
(1)	वाणिज्यिक खनन, पत्थर की खदान और उनको तोड़ने की इकाइयां।	(क) सभी प्रकार के खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानें और उनको तोड़ने की इकाइयां वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं के सिवाय नहीं होंगी ; (ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत सरकार के मामले में आदेश तारीख 4.8.2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में तारीख 21.04.2014 के अंतरिम आदेश के अनुसरण में सर्वदा प्रचालन होगा।
(2)	आरा मीलो की स्थापना।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मीलो का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
(3)	जल या वायु या मृदा या ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर किसी नए और प्रदूषण कारित करने वाले विद्यमान उद्योगों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
(4)	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
(5)	नए बृहद जल विद्युत परियोजनाओं	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।

	और सिंचाई परियोजनाओं की स्थापना ।	
(6)	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
(7)	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में अनुपचारित बहिस्त्राव और ठोस अपशिष्टों का निस्सारण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
(8)	पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु गुबारों आदि द्वारा अभ्यारण्य क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
(9)	नए काष्ठ आधारित उद्योग ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमाओं के भीतर नए काष्ठ आधारित उद्योगों की स्थापना को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा : परंतु विद्यमान काष्ठ आधारित उद्योग तब तक जारी रह सकेंगे जब तक तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन उन्हें प्रतिषिद्ध नहीं कर दिया जाता है ।
विनियमित क्रियाकलाप		
(10)	होटलों और रिसोर्टों की स्थापना ।	पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों से संबंधित पर्यटकों के अस्थायी अधिभोग के लिए आवास के सिवाय संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 1 किलोमीटर के भीतर किसी नए वाणिज्यिक होटलों और विश्रामस्थलों की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी तथापि एक किलोमीटर से परे और पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुरूप होगा ।
(11)	सन्निर्माण क्रियाकलाप ।	राष्ट्रीय पार्क की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर किसी नए वाणिज्यिक सन्निर्माण को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा :  परंतु स्थानीय व्यक्तियों को उनके आवासीय उपयोग के लिए उनकी भूमि में सन्निर्माण जिसके अंतर्गत पैरा 3 के उपपैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलाप भी है, को करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा ।  (ख) प्रदूषण कारित न करने वाले लघु उद्योगों से संबंधित सन्निर्माण कार्यकलापों को लागू नियमों और विनियमों के अनुसार, यदि कोई हों तो, सक्षम प्रधिकारी की पूर्व अनुज्ञा से अनुज्ञात किया जाएगा ।  (ग) 1 किलोमीटर से परे पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक सद्भावपूर्वक स्थानीय आवश्यकताओं के लिए सन्निर्माण को अनुज्ञात किया जाएगा और अन्य वाणिज्यिक सन्निर्माण कार्यकलापों को आंचलिक महायोजना के अनुसार अनुज्ञात किया जाएगा ।

		(घ) पारिस्थितिक संवेदी जोन में संनिर्माण क्रियाकलाप आंचलिक महायोजना के अनुसार होंगे।
(12)	वृक्षों की कटाई।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में किंही वृक्षों की कटाई नहीं होगी। (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केन्द्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगी। (ग) आरक्षित वनों और संरक्षित वनों की दशा में कार्यकरण योजना निर्देशों का अनुसरण किया जाएगा।
(13)	वाणिज्यिक जल संसाधन जिसके अंतर्गत भू-जल संचयन भी है।	(क) भूमि के अधिभोगी के वास्तविक कृषि और घरेलू खपत के लिए ही जल का निष्कर्षण (सतही और भूमिगत जल) अनुज्ञात होगा। (ख) औद्योगिक, वाणिज्यिक उपयोग के लिए सतही और भूमिगत जल के निष्कर्षण के लिए संबंधित विनियामक प्राधिकारी पूर्व लिखित अनुज्ञा अपेक्षित होगी जिसके अंतर्गत कितने परिमाण में वह निष्कर्षण करेगा, भी है। (ग) सतही या भूजल का विक्रय अनुज्ञात नहीं होगा। (घ) जल के संदूषण या प्रदूषण, जिसके अंतर्गत कृषि भी है, को रोकने के लिए सभी उपाय किए जाएंगे।
(14)	विद्युत केबलों और दूरसंचार टावरों का परिनिर्माण।	भूमिगत केबलों को अनुज्ञात किया जाएगा।
(15)	होटलों और लॉज के विद्यमान परिसरों में बाड़ लगाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(16)	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण।	उचित पर्यावरण समाघात निर्धारण और न्यूनीकरण उपाय यथा लागू अनुसार होंगे।
(17)	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे।
(18)	विदेशी प्रजातियों को लाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(19)	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(20)	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्स्राव का निस्सारण।	उपचारित बहिर्स्राव के पुनर्चक्रण को प्रोत्साहित करने और अवमल या ठोस अपशिष्टों के निपटान के लिए विद्यमान विनियमों का अनुपालन किया जाएगा।
(21)	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(22)	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग।	पारिस्थितिक संवेदी जोन में गैर प्रदूषण, गैर परिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग, कृषि उद्यान, कृषि या कृषि आधारित देशीय माल से औद्योगिक उत्पादों का उत्पादन उद्योग और जो पर्यावरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालते हैं।
(23)	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण (एन टी एफ पी)।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।



(24)	वायु और यानिक प्रदूषण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(25)	दुकानदारों द्वारा पोलिथीन बैगों का उपयोग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(26)	कृषि प्रणालियों में आमूल परिवर्तन ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
संविधित कार्यकलाप :		
(27)	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ पशुपालन, पशुपालन कृषि, जल कृषि और मछली पालन ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(28)	वर्षा जल संचयन ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाए ।
(29)	जैविक खेती ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाए ।
(30)	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाए ।
(31)	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर आदि भी हैं ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाए ।
(32)	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग ।	बायोगैस, सोलर लाइट आदि को बढ़ावा दिया जाए ।

5. **मानीटरी समिति-** (1) केंद्रीय सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रभावी मानीटरी के लिए एक मानीटरी समिति का गठन करेगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

- (क) कलक्टर और जिला मजिस्ट्रेट, रंगारेड्डी जिला - अध्यक्ष ;
- (ख) पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों का सदस्य तेलंगाना राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक वर्ष के लिए नामनिर्दिष्ट एक प्रतिनिधि - सदस्य
- (ग) पारिस्थितिकी और पर्यावरण के क्षेत्र में किसी प्रतिष्ठित संस्थान अथवा विश्वविद्यालय तेलंगाना राज्य सरकार सदस्य द्वारा प्रत्येक मामले में एक वर्ष के लिए नामनिर्दिष्ट एक विशेषज्ञ - सदस्य
- (घ) प्रादेशिक अधिकारी, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, - सदस्य
- (ङ) क्षेत्र का ज्येष्ठ योजनाकार/मुख्य शहरी योजनाकार/नगर सदस्य योजनाकार - सदस्य
- (च) प्रभागीय वन अधिकारी (टी) हैदराबाद/वन्यजीव वार्डन - सदस्य-सचिव ।

#### निर्देश निबंधन

- (2) मानीटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।
- (3) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी ।

(4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे

3341 4/7/15 - 3

क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(5) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध कलक्टर या संरक्षित क्षेत्र का प्रभारी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा।

(6) मानीटरी समिति मुद्दों के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।

(7) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक की अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट उपाबंध IV में उपबंधित रूप विधान के अनुसार उक्त वर्ष के 30 जून तक राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को प्रस्तुत करेगी।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे।

6. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी।

7. माननीय भारत के उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन, इस अधिसूचना के उपबंध होंगे।

[फा. सं. 25/55/2014-ईएसजेड-आरई]

डॉ. टी. चांदनी, वैज्ञानिक 'जी'

**उपाबंध।**

### प्रस्तावित पारिस्थितिकीय संवेदी जोन की सीमाओं का वर्णन

**उत्तर :-**

उक्त पारिस्थितिकीय संवेदी जोन बिन्दु 1 जहाँ आर. आर. जिला का कोकापन ग्राम स्थित है से शुरू होना है जो कि मुर्गवानी राष्ट्रीय पार्क चिल्कूर से 5 किलोमीटर पर बिन्दु 2 कि ओर जहाँ आर आर जिले का नरसिंगी ग्राम शुरू होता है कि ओर जाता है। जहाँ से यह पूर्व दिशा कि ओर बिन्दु 3 जहाँ आर-आर जिले के मनचीराबोलू ग्राम स्थित है तक जाता है और बिन्दु 4 कि तरफ मुड़ जाता है जहाँ एक स्ट्रीम पश्चिम कि तरफ जाकर गंदीपन जलाशय में गिरती है।

**पूर्व :-**

बिन्दु 4 से दक्षिण दिशा कि ओर बिन्दु 5 तक जहाँ राज्य सड़कमार्ग हैदराबाद को आर. आर जिले से चहवीला और तनदोर से जोड़ता है और दक्षिण दिशा कि ओर बिन्दु 7 पर समाप्त होता है जहाँ आर-आर जिला मे हिमायत सागर ग्राम स्थिति है और दक्षिणी दिशा में जाते हुए बिन्दु 8 पर समाप्त होता है।

**दक्षिण :-**

बिन्दु 8 से, यह पश्चिमी दिशा में हिमायत सागर से जाते हुए बिन्दु 9 तक जो कि हिमायत सागर जलाशय का दूसरा किनारा है। बिन्दु 9 से यह बिन्दु 11 कि तरफ बिन्दु 10 से जाता है जहाँ राज्य सड़कमार्ग जो कि हैदराबाद को चेकिला और तंदोहदुर को जोड़ता है, को काटता है।

**पश्चिम :-**


राज्य सड़क मार्ग जंक्शन, बिन्दु 12 कि तरफ अर्थात् उत्तरी बिन्दु 13 तक, जो कि गंदीपन जलाशय का किनारा है। बिन्दु 13 से गंदीपन होते हुए बिन्दु 14 तक, गंदीपन का दूसरा किनारा और बिन्दु 15 पहुँचना है जहाँ गंदीपन जलाशय समाप्त होता है । बिन्दु 15 से लाइन पूर्वी दिशा कि ओर जाती है और बिन्दु 16 पहुँचती है और फिर बिन्दु 1 पर जो कि प्रारंभिक बिन्दु है ।

**उपाबंध-II****प्रस्तावित पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर आने वाले ग्रामों की सूची**

क्र. सं.	ग्राम का नाम	अक्षांश	देशांतर
<b>मोइनाबाद मंडल</b>			
1	चिलकुर	17.34960	78.28725
2	हिमायत नगर	17.34362	78.30885
3	बंगालीगुड़ा	17.32458	78.32373
4	एंकपाल्ल्य	17.32509	78.31186
5	इब्राहीमपुर	17.38162	78.38177
6	अजीज नगर	17.33613	78.32752
<b>राजेंद्रनगर मंडल</b>			
7	नर्सिगी	17.38831	78.35586
8	मंचिरेवला	17.37724	78.35435
9	कॉकपेट	17.39553	78.33475
10	पिरैचस्पू	17.35833	78.3755
11	हिमायत सागर	17.36737	78.39224
12	हडर्शकोट	17.36737	78.39224
13	निकनापुर	17.38678	78.37334
14	बैरंगुड़ा	17.37094	78.37120
15	गंधंगुड़ा	17.36916	78.38002

**उपाबंध-III**

प्रस्तावित पारिस्थितिकीय संवेदी जोन की सीमा के साथ अक्षांश और देशांतर को उपदर्शित करने वाला मानचित्र



क्र. सं.	अक्षांश	देशांतर
1	17.349600	78.287250
2	17.343620	78.308850
3	17.324580	78.323730
4	17.325090	78.311860
5	17.381620	78.381770
6	17.336130	78.327520
7	17.388310	78.355860
8	17.377240	78.354350
9	17.395530	78.334750
10	17.358330	78.375500
11	17.367370	78.392240
12	17.367370	78.392240
13	17.386780	78.373340
14	17.370940	78.371200
15	17.369160	78.380020

## उपाबंध-IV

## पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का प्रोफार्मा

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत्त : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें। बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबंध करें ।
3. जोनल मास्टर प्लान की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन मास्टर प्लान भी है ।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश ब्यौरों को उपाबंध के रूप में संलग्न किया जा सकेगा ।
5. ईआईए अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली क्रियाकलापों की संविधा के मामलों का सारांश ।
6. ईआईए के अधीन न आने वाली क्रियाकलापों की संविधा के मामलों का सारांश। ब्यौरों को उपाबंध के रूप में संलग्न किया जा सकेगा ।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश
8. महत्ता का कोई अन्य विषय ।

**MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE**  
**NOTIFICATION**

New Delhi, the 4th August, 2015

**S.O. 2117(E).**—The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of Section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the Public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forests and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110 003, or send it to the e-mail address of the Ministry at: - [esz-mef@nic.in](mailto:esz-mef@nic.in)

**Draft Notification**

Whereas, the Mrugavani National Park, Chilkur is located about 17 kms from the city of Hyderabad towards North-West on Hyderabad – Chevella – Vikarabad - Tandur State Highway and spreads over 900 acres and this this park is now considered as part of the city;

And whereas, the National Park has physical features like rock formations, hills, valleys and undulating plains and has last vestiges of diverse flora, fauna which is characteristic of the Deccan Plateau in the vicinity of rapidly developing city of Hyderabad;

And whereas, the area has rich bio-diversity, which includes more than 600 plant species, the major tree species are *Anogeissus latifolia*, *Lagerstromea parviflora*, *Albizzia amara*, *Cassia fistula*, *Sapinders emanginatus*, *Butea monosperma*, *Ficus spp.*, *Dalbergia paniculata*, *Accacia sundra*, *Chloroxylon swietenia*, *Grewia teliafolia*, Neem, Teak, Rose wood, Sandal wood etc.

3341 5715-4

And whereas, the National Park harbours diverse fauna including 120 bird species like common peafowl, Grass Owl etc., 20 Mammal species like Spotted Deer, Sambar, Porcupine, Wild Bor etc., 20 species of Reptiles like Indian Cobra, Indian Python, Monitor Lizards etc.,

And whereas, as per G.O. No.111 M.A., Dated 08.03.1996 issued by Municipal Administration and Urban Development (11) Department of the State Government orders were issued prohibiting various activities within 10 Km radius of Himayath Sagar and Osman Sagar lakes which are the main sources of Drinking Water supply of Hyderabad and Secunderabad;

And whereas, it is necessary to conserve and protect the area the extent and boundaries of which is specified in paragraph 1 of this notification around the Mrugvani National Park as Eco- sensitive Zone from ecological and environmental point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent of 5 kilometers in the areas falling under G.O. No. 111 all along the boundary of Mrugavani National Park, Chilkur and three kilometers towards Manchirevula Village in the Rangareddy District of Telangana all along the boundary of Mrugavani National Park in the State of Telangana, as the Mrugvani Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone (hereinafter referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:—

1. **Extent and Boundary of Eco-sensitive Zone.**—(1) The Eco-sensitive zone shall have an extent of 5 Kms. all along the boundary of Mrugavani National Park, Chilkur in the areas falling under G.O. No. 111 of the State Government and 3 Kms towards Manchirevula Village in the Rangareddy District of Telangana between 17.21.132 to 17.21.893 North latitude and between 78.21.035 to 78.21.301 East longitude;

(2) The boundary description of the Eco-sensitive Zone is appended as **Annexure I** and the list of villages are given in **Annexure-II**.

(3) The map of Eco-sensitive Zone boundary together with latitudes –longitudes is appended as **Annexure III**.

2. **Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.**—(1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of final notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification.

(2) The said Plan shall be approved by the Competent Authority in the State Government.

(3) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(4) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with all concerned State Departments, namely:-

(i) Environment,

(ii) Forest,

(iii) Urban Development,

(iv) Tourism,

(v) Municipal,

(vi) Revenue,

(vii) Agriculture

(ix) State Pollution Control Board,

(x) Irrigation

(xi) Public Works Department

for integrating environmental and ecological considerations into it.

(5) The Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(6) The Zonal Master plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(7) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, village and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies.

(8) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone as to ensure Eco-friendly development for livelihood security of local communities.

3. **Measures to be taken by State Government.**—The State Governments shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) **Land use.**—Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or industrial related development activities:

Provided that the conversion of agricultural lands within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the State Government, to meet the residential needs of local residents, and for the activities listed against serial numbers 10, 16, 22, 28 and 31 in column (2) of the Table in paragraph 4, namely:-

- (i) Eco-friendly cottages for temporary occupation of tourists, such as tents, wooden houses, etc. for Eco-friendly tourism activities,
- (ii) Widening and strengthening of existing roads,
- (iii) Small scale industries not causing pollution,
- (iv) Rainwater harvesting, and
- (v) Cottage industries including village industries, convenience stores and local amenities:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

Provided also that there shall be no consequential reduction in green area, such as forest area and agricultural area and efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas.

(2) **Natural Springs.**—The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) **Tourism.**— (a) The activity relating to tourism within the Eco-sensitive Zone shall be as per Tourism Master Plan, which shall form part of the Zonal Master Plan.

(b) The Tourism Master Plan shall be prepared by Department of Tourism, in consultation with Department of Forests and Environment, Government of Telangana.

(c) The activity of tourism shall be regulated as under, namely:-

- (i) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority, (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development and based on carrying capacity study of the Eco-sensitive Zone;

(ii) new construction of hotels and resorts shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the Sanctuary except for accommodation for temporary occupation of tourists related to Eco-friendly tourism activities. However, beyond the distance of one kilometer from the boundary of the Protected Areas till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be permitted only in pre-defined and designated areas for Eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan.

(iii) till the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee.

(4) **Natural Heritage.**— All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and preserved and plan shall be drawn up for their protection and conservation, within six months from the date of publication of this notification and such plan shall form part of the Zonal Master Plan.

(5) **Man-made heritage sites.**— Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be indentified in the Eco-sensitive Zone and plans for their conservation shall be prepared within six months from the date of publication of this notification and incorporated in the Zonal Master Plan.

(6) **Noise pollution.**— The Environment Department of the State Government or State Pollution Control Board shall draw up guidelines and regulations for the control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.

(7) **Air pollution.**— The Environment Department of the State Government or State Pollution Control Board shall draw up guidelines and regulations for the control of air pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.

(8) **Discharge of effluents.**— The discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974) and the rules made thereunder.

(9) **Solid wastes.** - Disposal of solid wastes shall be as under:-

(i) the solid waste disposal in Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Municipal Solid Waste (Management and Handling) Rules, 2000 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests *vide* notification number S.O. 908 (E), dated the 25th September 2000 as amended from time to time;

(ii) the local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components;

(iii) the biodegradable material shall be recycled preferably through composting or vermiculture;

(iv) The inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone and no burning or incineration of solid wastes shall be permitted in the Eco-sensitive Zone

(10) **Bio-medical waste.**— The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Bio-Medical Waste (Management and Handling) Rules, 1998 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests *vide* Notification number S.O. 630(E), dated the 20th July, 1998 as amended from time to time.

(11) **Vehicular traffic.** - The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal master plan is prepared and approved by the Ministry of Environment, Forests and Climate Change, Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

#### (12) Industrial Units

(a) No establishment of new wood based Industries within the proposed Eco-sensitive zone shall be permitted except the existing wood based Industries set up as per the Law.

(b) No establishment of any new Industry causing water, air, soil, noise pollution within the proposed Eco-sensitive zone shall be permitted.

4. **List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.**— All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made thereunder and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:—



TABLE

Sl. No.	Activity	Remarks
(1)	(2)	(3)
<b>Prohibited Activities</b>		
1.	Commercial Mining, stone quarrying, crushing units	(a) New mining (minor and major minerals), stone quarrying, crushing units shall be prohibited within the Eco-sensitive zone. (b) The mining operations shall strictly be in accordance with the interim order of the Hon'ble Supreme Court dated 04.08.2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumalpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and order of the Hon'ble Supreme Court dated 21.04.2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting up of saw mills.	No new or expansion of existing Saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
3.	Setting up of industries causing water or air or soil or noise pollution.	No new or expansion of polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall be permitted.
4.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
5.	Establishment of new major hydroelectric projects and irrigation projects.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
6.	Use or production of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
7.	Discharge of untreated effluents and solid waste in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
8.	Undertaking activities related to tourism like over-flying the National Park Area by aircraft, hot-air balloons	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
9.	New wood based industry.	Establishment of new wood based industry shall not be permitted within the limits of Eco-sensitive Zone: Provided the existing wood-based industry may continue as per law
<b>Regulated Activities</b>		
10.	Establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the Protected Area except for accommodation for temporary occupation of tourists related to Eco-friendly tourism activities. However, beyond the distance of one kilometer from the boundary of the Protected Areas till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be permitted only in pre-defined and designated areas for Eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan.
11.	Construction activities	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within one kilometer from the boundary of the Protected Area: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their residential use including the activities listed in subparagraph (1) of paragraph 3, (b) the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the Competent Authority as per applicable rules and regulations, if any:

3341 527 15-5

		<p>(c) Beyond one kilometer upto the extent of Eco sensitive Zone construction for bona fide local needs shall be permitted and other commercial construction activities shall be regulated as per Zonal Master Plan.</p> <p>(d) construction activity in the ESZ shall be as per Zonal Master Plan</p> <p>(e) the Zonal master Plan shall be integrated with the Development Plan of the area</p>
12.	Felling of trees.	<p>(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the Competent Authority in the State Government;</p> <p>(b) the felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.</p>
13.	Commercial water resources including ground water harvesting.	<p>(a) The extraction of surface water and ground water shall be permitted only for <i>bona fide</i> agricultural use and domestic consumption of the occupier of the land;</p> <p>(b) extraction of surface water and ground water for industrial or commercial use including the amount that can be extracted, shall require prior written permission from the concerned Regulatory Authority;</p> <p>(c) no sale of surface water or ground water shall be permitted;</p> <p>(d) steps shall be taken to prevent contamination or pollution of water from any source including agriculture.</p>
14.	Erection of electrical cables and telecommunication towers.	<p>(a) the laying of new high tension transmission wires shall be prohibited from the boundary up to a distance of five hundred meters.</p> <p>(b) Promote underground cabling</p>
15.	Fencing of existing premises of hotels and lodges.	Regulated under applicable laws.
16.	Widening and strengthening of existing roads	shall be done with proper Environment Impact Assessment and mitigation measures, as applicable.
17.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose, under applicable laws.
18.	Introduction of exotic species.	Regulated under applicable laws.
19.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated under applicable laws.
20.	Discharge of treated effluents in natural water bodies or land area.	Recycling of treated effluent shall be encouraged and for disposal of sludge or solid wastes, the existing regulations shall be followed.
21.	Commercial Sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
22.	Small scale industries not causing pollution.	Non polluting, non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous goods from the Eco-sensitive Zone, and which do not cause any adverse impact on environment shall be permitted.
23.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated under applicable laws.
24.	Air and vehicular pollution	Regulated under applicable laws.
25.	Use of polythene bags	Regulated under applicable laws.
26.	Drastic Change of Agriculture systems	Regulated under applicable laws.
<b>Promoted Activities</b>		
27.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted under applicable laws.

28.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
29.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
30.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
31.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
32.	Use of renewable energy sources	Bio gas, solar light etc to be promoted

**5. Monitoring Committee.**—(1) The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone, which shall comprise of, namely:—

- (a) Collector & District Magistrate, Rangareddy District - Chairman
- (b) One representative of Non Governmental Organization working in the field of environment to be nominated by the Government of Telangana for a term of one year in each case -Member
- (c) one expert in the area of ecology and environment to be nominated by the Government of Telangana for a term of one year in each case -Member
- (d) Regional Officer, State Pollution Control Board -Member.
- (e) Senior Town Planner of the area/Chief Urban Planner/City Planner - Member.
- (f) Divisional Forest Officer (T), Hyderabad/Wildlife Warden Secretary. - Member

**Terms of Reference:**

- (2) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this Notification.
  - (3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.
  - (4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned Regulatory Authorities.
  - (5) The Member Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector(s) or the concerned park Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.
  - (6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from Industry Associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.
  - (7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden of the State as per pro forma appended at Annexure IV.
  - (8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.
6. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.
7. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.

[F. No. 25/55/2014-ESZ-RE]

Dr. T. CHANDINI, Scientist 'G'

3341 92715-6

**Annexure I****Boundary description of Eco-Sensitive Zone:**

**North :** The said Eco-sensitive zone the area starts from point 1 where Kokapet Village R.R. District is located, which is 5 Kms from the boundary of Mrugavani National Park, Chilkur and runs towards point 2 where the Narsingi Village in the R.R. District Starts. From there it runs towards Eastern side upto point 3 where the Manchirevula Village in the R.R. District is located and runs towards point 4 where there is a stream going towards Western side and falls in Gandipet Reservoir.

**East :** From Point 4 it runs towards Southern side and ends point 5 where there is State Highway which is joining Hyderabad with R.R.District via Chevella and Thandur and goes towards Southern side and ends at Point 7 where Himayathsagar village in the R.R.District is located and runs towards Southern side and ends at point 8.


**South :** From point 8 it runs towards Western side through Himayath Sagar upto point 9 which is the other bank of the Himayath Sagar Reservoir. From point 9 it will runs towards point 11 where through point 10 it crosses the State Highway which is going from Hyderabad to Chevella & Tandhdur.

**West :** From the State Highway junction at point 11 it runs towards point 12 i.e., Northern side upto point 13, which is the edge of Gandipet Reservoir. From point 13 it passes through Gandipat and reaches point 14 the other edge of the Gandipet and reaches point 15 where the Gandipet Reservoir ends. From point 15 the line runs towards Eastern side and reaches point 16 and then to point 1 which is the starting point.

**Annexure II****List of Villages falling within the proposed Eco Sensitive Zone**

S.No.	Village	Latitude	Longitude
<b>Moinabad Mandal</b>			
1	Chilkur	17.34960	78.28725
2	Himayath Nagar	17.34362	78.30885
3	Bangaliguda	17.32458	78.32373
4	Yenkapally	17.32509	78.31186
5	Ibrahimpur	17.38162	78.38177
6	Aziz Nagar	17.33613	78.32752
<b>Rajendranagar Mandal</b>			
7	Narsingi	17.38831	78.35586
8	Manchirevula	17.37724	78.35435
9	Kokapet	17.39553	78.33475
10	Pirancheruvu	17.35833	78.3755
11	Himayath Sagar	17.36737	78.39224
12	Hydarshakot	17.36737	78.39224
13	Niknapur	17.38678	78.37334
14	Bairamguda	17.37094	78.37120
15	Gandhamguda	17.36916	78.38002

Map of Eco-sensitive Zone boundary together with latitudes –longitudes



S. No.	Latitude	Longitude
1	17.349600	78.287250
2	17.343620	78.308850
3	17.324580	78.323730
4	17.325090	78.311860
5	17.381620	78.381770
6	17.336130	78.327520
7	17.388310	78.355860
8	17.377240	78.354350
9	17.395530	78.334750
10	17.358330	78.375500
11	17.367370	78.392240
12	17.367370	78.392240
13	17.386780	78.373340
14	17.370940	78.371200
15	17.369160	78.380020

## Annexure IV

**Proforma of Action Taken Report : Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.—**

1. Number and date of Meetings.
2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attached Minutes of the meeting on separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal master Plan including Tourism master Plan.
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record. Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinized for activities covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006. Details may be attached as separate Annexure.
6. Summary of case scrutinized for activities not covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006. Details may be attached as separate Annexure.
7. Summary of complaints lodged under Section 19 of Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.